

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 मई 2021 — ज्येष्ठ 6, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मार्च 2021

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/707/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2021 में “स्वीकृत क्षमता बालक 25-25” के स्थान पर 50-50 आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिये स्थायी पंजीयन करता है :-

स. क्र.	संस्था का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	बालक बालिका	(7)
1.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	नया ढाबा, राजनांदगांव	राजनांदगांव	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50 00	06/RJND/2021
2.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	वार्ड नं. 14, गुरुड पारा, बाबा रामदेव मंदिर के पीछे, महासमुंद	महासमुंद	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50 00	04/msmd/2021

- यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष हेतु वैध होगा.
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
- संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.
- संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.